अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 18/2013 अपीलार्थी – सलमा खातुन बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 929/प्रो0 दिनांक 29.06.2013 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस अपीलवाद में आरोप यह है कि सुपौल परियोजना के केन्द्र सं0– 103 मो0 दिलबर के दरवाजे पर स्थित केन्द्र का जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दिनांक 23.01.2013 को 12:30 बजे दिन में दिया गया। निरीक्षण के समय केन्द्र पर 10 बच्चें थे केन्द्र संचालन संतोषजनक नहीं पाया गया। केन्द्र पर पायी गई अनियमितता के संदर्भ में कार्यालय पत्रांक 395/प्रो0 दिनांक 26.03.2013 से सेविका श्रमती सलमा खातुन से स्पष्टीकरण की माँग किया गया। सेविका ने निर्धारित तिथि 31.03.2013 को उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण न देकर मौखिक बयान दिया कि केन्द्र का संचालन नियमित करती हूँ उस दिन जाड़े के कारण कुछ बच्चें केन्द्र पर नहीं आ सके थें , सहायिका ने पोषाहार बनाया था, एवं टी0एच0आर0 भी समय पर बांटती हूँ । इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय	

में हुई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता /सरकारी अधिवक्ता ने भाग लिया , एवं अपना –अपना पक्ष ,साक्ष्य, कागजात प्रस्तुत किये। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 929 दिनांक 29.06.2013 में वर्णित है कि निरीक्षण तिथि को मात्र 10 लाभुक बच्चे उपस्थित थे जबकि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के पत्रांक 1995 दिनांक 17.10.2014 एल0सी0आर0 जो मूल रूप से इस न्यायालय को भेजा गया है। उसमें निरीक्षण स्पष्टीकरण प्रपत्र /ज्ञापांक 395 दिनांक 26.03.2013 जो संलग्न है, उसमें केन्द्र पर निरीक्षण तिथि को उपस्थित बच्चों की सं0– 23 दर्शाया गया है, जिसमें पोशाक में उपस्थित बच्चों की सं0– 10 अंकित है ज्ञापांक 395 दिनांक 26.03. 2013 अवलोकन कराया गया। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश जो चयन मुक्ति का है उसे इस आधार पर खंडित करने योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अपीलार्थी सेविका दिनांक 20.01.2013 से दिनांक 24.01. 2013 तक पल्स पोलियो अभियान में व्यस्त थी, पल्स पोलियो कार्यक्रम सुबह 8: बजे से शाम 4 बजे चलता था, और वह पोषाहार का समान सहायिका को दिनांक 23.03.2013 को देकर पल्स पोलियो अभियान में लग गई थी, अपीलार्थी की अनुपस्थिति में सहायिका द्वारा केन्द्र संचालन करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारी का है। किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने जान बुझ कर अपने आदेश में इन बातो को नहीं लिखा क्योंकि डी0पी0ओ0 प्रश्नगत केन्द्र पर पहले से किसी कारणों से कुपित थे अतः ये बयान उन्होंने नहीं लिखकर अपने मन से गलत बयान अंकित किए । अपीलार्थी ने पल्स पोलियों अभियान के कार्य करने का प्रमाण पत्र डी0पी0ओ0 को दिखाया भी यह भी बताया कि पल्स पोलियो अभियाण में कार्य करने पर उन्हें पारिश्रमिक भी मिला है, किन्तु उन्होंने गलत व्याख्या करके चयन रद्द कर दिए, जो खंडित करने योग्य है। चिकित्सा पदाधिकारी सुपौल की अध्यक्षता में बैठक में भाग लेने, एवं कार्य करने का नियुक्ति पत्र भी अवलोकन कराया गया, किन्तु उन्होंने डी0पी0ओ0 ने इसकी भी अनदेखी की।

अपीलर्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि दिनांक 20.13.2013 को पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम के शुरू दिन ही संध्याकालीन बैठक का आयोजन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुपौल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रस्ताव संख्या 12 के अनुसार दल संख्या 43 में अंशु कुमार के स्थान पर सेविका/अपीलार्थी सलमा

खातुन को प्रति नियुक्ति किया गया तथा सेविका सलमा खातुन दिनांक 20.01.2013 से 24.01.2013 तक राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो में सुबह 8:00 बजे से 4:00 तक कार्य की है अतः सेविका को अनाधिकृत अनुस्थिति बताकर तथा केन्द्र पर उपस्थित बच्चों की सं0–10 बताकर (खुद डी0पी0ओ0 ने स्पष्टीकरण प्रपत्र में बच्चों की उपस्थिति 23 बताया है) चयन रद्द करना एवं छह महीने का आर्थिक दंड देना सर्वथा त्रुटिपूर्ण आदेश है जो खंडित करने योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अपीलार्थी सेविका सलमा खातुन एक विकलांग महिला है। (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सहरसा का प्रमाण पत्र भी अवलोकन) फिर भी यह मुस्तैद होकर केन्द्र का संचालन नियमित करती आ रही है कभी भी सेविका पर किसी भी पदाधिकारी का कोई गलत टिप्पणी निरीक्षण पंजी में दर्ज नहीं है।

उपरोक्त सारी बातों का विवेचना एवं निष्कर्ष के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि निम्न न्यायालय का आदेश न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है, सेविका/सहायिका उपस्थित थी लाभुक बच्चों भी 23 थे, केन्द्र का संचालन सही तरीके से हुआ, किन्तु उनके द्वारा गलत व्याख्या/ विवेचना करके चयन मुक्ति आदेश दिया गया क्योंकि सेविका 20.01. 2013 से 24.01.2013 तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी है, यह कार्यक्रम भी काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसके बावजूद भी चयन मुक्ति आदेश अपीलार्थी सेविका के मनोबल को तोड़ने वाला है अतः न्यायालय निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापाक 929 दिनांक 29.06.2013 को खंडित करते हुए सेविका /(अपीलार्थी) को चेतावनी सहित भविष्य में पूरी मुस्तैदी व सजगता के साथ केन्द्र संचालन हेतु आदेश निर्गत तिथि से चयन बरकरार रखती है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा